

INSTRUCTION FOR CANDIDATES
(Candidates should bring this Instruction Sheet at the time of Document Verification)

- 1 Candidate must bring the following certificates in original along with two sets of photocopies of all the documents duly self attested.
 - (A) Mark Sheets certificates of all Educational / Technical qualifications mentioned in the application/notification. Gazette notification and/or any legal document in case of formal change of name as mentioned in notification.
 - (B) Certificate for proof of date of birth as mentioned in the notification. In absence of relevant date of birth certificate candidature of candidate will be cancelled. (Birth Certificate will not be considered as valid documentary proof.)
 - (C) Caste certificate for SC/ST/OBC candidate in prescribed format issued by Competent Authority, OBC candidates are required to produce current (not prior to 2018 - 19) OBC Caste certificate in prescribed format which should have clear mention about Non Creamy Layer status.
 - (D) Lower half portion of Admit Card of Written Examination and Physical Efficiency Test (PET).
 - (E) No Objection Certificate from Controlling Officer in case of Government servant.
 - (F) Discharge Certificate / NOC in case of Ex-Servicemen (Ex-SM).
 - (G) Disability certificate in case of PwBD candidates, Income Certificate in case of EBC, Minority Declaration (Affidavit) in case of Minority candidate.
 - (H) Five identical passport size photographs same as uploaded with the application.
 - (I) Photo Identity Card as mentioned in Cen. No. 02/2018 (any one) and photo copy of both side of Aadhaar card with original.
 - (J) Receipt of payment if made through a challan at SBI branch or pay - in - slip at computerised post office.
 - (K) Self certification by the Transgender candidate.
 - (L) J&K domicile certificate.
 - (M) Decree of divorce/judicial separation from the competent court of law as applicable and affidavit stating that the candidate has not remarried.
 - (N) In case of Widow, Death Certificate of spouse and Affidavit stating that the candidate has not remarried.
- 2 Attend the Document Verification Center well in time with valid documents as asked for. In absence of the valid documents your candidature will be cancelled.
- 3 No request for change of Centre / date of Document Verification / time will be entertained.
- 4 Candidates will have to bear all expenses with respect to stay, transportation etc. RRC/WR may also call them on next day in case of any requirement / exigencies. Accordingly they should come well prepared to stay at Document Verification Center for one or two days.
- 5 Those candidates whose documents are found correct in Verification, will be sent for prescribed Medical Examination on the same or next day at Mumbai, Baroda, Ahmedabad, Ratlam, Rajkot or Bhavnagar. They should come well prepared to stay for the same for one or more days.
- 6 Candidates are directed to ensure that certificates produced by them do not have any deficiency with respect to name, father's name, date of birth etc. failing which their candidature is liable to be cancelled.
- 7 Affix your passport size photograph on the space provided on call letter & put signature across the photograph **in the presence of Railway official conducting Document Verification**, in such a way that some part of the signature appear on the Admit Card.
- 8 The candidate must retain the lower portion of this call letter and should be ready to produce the same at a later date when instructed, failing which he/she shall be disqualified.
- 9 Candidates may note that in the event of their being found ineligible at any stage of recruitment process or in declaration given in application form being found to be incorrect or incomplete the Railway Administration have right to reject their candidature or even to terminate their services, if appointed.
- 10 **Any form of canvassing will disqualify the candidate. Candidate found to be indulging in any malpractices or using unfair means in the exam shall be disqualified. Beware of Touts and job racketeers trying to deceive you by false promises of securing job in Railways either through influence or by use of unfair or unethical means and do not fall in their trap.**
- 11 Merit of selected candidates will be based on the marks obtained in the CBT
- 12 Candidate must sign in running script as signed in the application form and not in capital letters. If he signs in block capital letters, he/she will be disqualified.
- 13 Decision of RRC in all matters will be final.
- 14 Visit only the official website of RRC (WR) ie. <https://www.rrc-wr.com> for related information.
- 15 Violation of these instructions shall lead to cancellation of candidature.

1

hereby declare that I have read all the instructions above and meet all the requirements therein.

Signature of the employee

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

- 1 आभियात्री निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी दो प्रतियाँ स्वयं अभिप्रमाणित कर के अपने साथ अवश्य लायें।
- (क) सभी शैक्षिक / तकनीकी योग्यताओं के अंक पत्र । प्रमाण पत्र ।
- (ख) उचित जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी ।
- (ग) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अदत्तन अ० पि० व० जाती प्रमाण प्रस्तुत करें (जो कि 2018-19 से पहले का न हो) जिसमें साफ तौर पर नॉन क्रिमिलेयर वर्ग कि सामाजिक स्थिति निर्देशित हो।
- (घ) लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र कि निचली आधी प्रति ।
- (च) सरकारी कर्मचारियों के मामले में नियंत्रक अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र।
- (छ) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवा मुक्ति / अनापति प्रमाण पत्र ।
- (ज) विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र।
- (झ) आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फोटो के संरूप पाँच फोटो प्रतियाँ ।
- (ट) केंद्रीयकृत रो. सु.सं. 02/2018 के अंतर्गत उल्लेखित उचित प्रारूप का फोटो पहचान पत्र (कोई भी एक) और आधार कार्ड के दोनों तरफ की छाया प्रति मूल प्रति के साथ।
- (ठ) एसबीआई शाखा में चालान द्वारा भुगतान करने के मामले में भुगतान की गई रशीद या संगणककृत डाक घर की भुगतान-की-रशीद।
- (ड) ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणन।
- (ढ) जम्मू एवं कश्मीर अधिवाश प्रमाणपत्र।
- (त) सक्षम न्यायालय से तलाक/कानूनी वियोजन का आदेश (डिक्री) यथा लागू और शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया।
- (ऋ) विधवा उम्मीदवार के मामले में पति कि मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथपत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- 2 मांगे गए वैध दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर समय पर उपस्थित हों। इसके अभाव में आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी ।
- 3 दस्तावेज सत्यापन केंद्र / सत्यापन कि तिथि / समय में परिवर्तन करने हेतु किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 4 अभ्यर्थियों को आने जाने एवं ठहरने इत्यादि के लिए सभी खर्च स्वयं वहन करने होंगे । आवश्यक होने पर रे.अ.प्र./प.रे. उन्हें अगले दिन भी बुला सकता है तदनुसार दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर एक या दो दिन रुकने की तैयारी के साथ आयें।
- 5 ऐसे अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन में सफल पाए जाएंगे तो उन्हें निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के लिए उसी दिन या दूसरे दिन मुंबई, बड़ोडा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट या भावनगर भेजा जाएगा । इसके लिए उन्हें एक या अधिक दिन रुकने की तैयारी के साथ आयें।
- 6 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार कि त्रुटि जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि में न हो । इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी ।
- 7 प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज कि फोटो लगाएँ तथा हस्ताक्षर ऐसे करें कि हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो और प्रवेश पत्र दोनों पर आ जाए अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने कि अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- 8 उम्मीदवार बुलवापत्र का निचला भाग संभाल कर रखे ताकि बाद में निर्देश दिये जाने पर वह भाग प्रस्तुत करने हेतु तैयार रहे। इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी
- 9 अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गयी घोषणा गलत अथवा अपूर्ण पाये जाने पर उनकी पात्रता समाप्त करने अथवा नियुक्ति हो जाने पर उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन को है ।
- 10 किसी भी प्रकार कि सिफारिश मान्य नहीं है एवं इस के लिए उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उम्मीदवार यदि परीक्षा में किसी प्रकार के अनाचार में लिप्त पाया जाता है अन्यथा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करता है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी एवं दलाली करने वाले माफिया तत्वों से सावधान, ऐसे आपराधिक तत्व सिफारिश या अन्य अनुचित/अनैतिक साधनों के द्वारा रेलवे में नौकरी दिलवाने का गलत आश्वासन देकर भाषकों को ठगने का प्रयास कर सकते हैं। अतः ऐसे तत्वों के ज्ञान में न पड़े।
- 11 चयनित उम्मीदवारों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी ।
- 12 अभ्यर्थी हस्ताक्षर हस्तलिपि में ही करें जैसा आवेदन पत्र में किए हैं । अँग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं । यदि हस्ताक्षर अँग्रेजी के बड़े अक्षरों में करता / करती है तो वह अयोग्य घोषित होगा ।
- 13 सभी प्रकार के मामले में रेल भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा ।
- 14 संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट www.rrc-wr.com देखें ।
- 15 इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त हो जाएगी ।